प्रकाशन के लिए अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर</u>

<u>कोरम -</u> माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता मुख्य न्यायधीश, श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायमूर्तिगण

<u>दा०अ० क्र०. 270/1995</u>

अमरसिंह (मृत) एवं अन्य

बनाम

म.प्र राज्य (अब छ.ग)

विचारार्थ आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता

सहमत हू |

सही/-

मुख्य न्यायधीश

निर्णय हेतु प्रकरण दिनांक 17/07/2012 को सूचीबद्ध किया गया|

सही/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर

कोरम - माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता मुख्य न्यायधीश, श्री सुनील कुमार सिन्हा न्यायमूर्तिगण

दा०अ० क्र०. 270/1995

अपीलकर्ता :	1. **अमर सिंह, पिता कुंजल बिंझवार, आयु 60 वर्ष ((मृत आदेश दिनांक 17/08/2011 के द्वारा विलोपित किया गया)** 2. **जगत सिंह, पिता अमर सिंह बिंझवार, आयु 25 वर्ष** 3. **करिया उर्फ़ हनुमान सिंह, पिता अमर सिंह, आयु 22 वर्ष** **सभी निवासी ग्राम पिलवापाली, थाना पिथौरा, तहसील महासमुंद, जिला रायपुर।**
प्रत्यर्थी :	**मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) द्वारा पुलिस थाना पिथोरा, जिला रायपुर|**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दाण्डिक अपीलें

उपस्थित :

श्री जे.ए. लोहानी, अधिवक्ता — अपीलार्थियों की ओर से।

श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता — राज्य की ओर से।

निर्णय

(दिनांक 17.07.2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय **श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश** द्वारा उद्घोषित किया गया —

(1) यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, महासमुंद द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 383/91 में दिनांक 09 फरवरी, 1995 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

(2) अपीलार्थी क्रमांक 1 — अमर सिंह, पिता कुंजल बिंझवार, अपील की लंबितावस्था के दौरान निधन हो गया। अतः उसका नाम अपील के वाद शीर्षक से विलोपित कर दिया गया है अपीलार्थी क्र 1 की ओर से प्रस्तुत अपीलार्थी को उपशमित किया गया |

(3) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृतक गौर सिंह, आयु लगभग डेढ़ वर्ष, मृतक मेहर सिंह का पुत्र था। राधा बाई (अभी.सा.-5), मृतक मेहर सिंह की पत्नी (विधवा) है। दिनांक 14.06.1991 को लगभग दोपहर 12 बजे मेहर सिंह एवं गौर सिंह साइकिल से अपने घर वापस आ रहे थे। उसी समय राधा बाई (अभी.सा.-5) ने गौर सिंह के रोने की आवाज सुनी। वह घर से बाहर आई और देखा कि अमर सिंह (ए-1) तथा उसके तीन पुत्र— जगत सिंह (ए-2), करिया (ए-3) एवं सुरु सिंह (किशोर अपचारी) डंडा एवं टंगिया लेकर वहाँ आए, उन्होंने चिल्लाते हुए उसके पति एवं नाबालिग पुत्र गौर सिंह पर प्रहार किया। उन्होंने राधा बाई (अभी.सा.-5) के साथ भी मारपीट की।

मृतकों को अनेक गंभीर चोटें आईं तथा राधा बाई (अभी.सा.-5) को भी चोटें पहुँचीं। मेहर सिंह (मृतक) की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट राधा बाई (अभी.सा.-5) द्वारा दर्ज कराई गई।

डॉ. जी.एल. चंद्राकर (अभी.सा.-3) ने मृतक मेहर सिंह के शव का विच्छेदन किया और निम्नलिखित चोटें पाईं :—

(i) चेहरे के दाहिने भाग पर 11 × 8 से.मी. का घर्षण, भूरा-लाल रंग का;

(ii) दाहिने कान पर 3 × **½** से.मी. का फटा हुआ घाव

(iii) दाहिने कान के नीचे फटा हुआ घाव;

(iv) दोनों गालों की बाहरी सतह पर 3 **½** × 2 से.मी. के फटा हुआ घाव;

(v) दाहिने कान के अग्र भाग पर 2 **½ x** 1 **x** 1 सेमी का विदीर्ण घाव;

(vi) ऑक्सिपिटल (पश्च-मस्तिष्क) क्षेत्र पर 3 **½ x ½** सेमी का विदीर्ण घाव;

(vii) दाहिनी एवं बायीं पार्श्विक अस्थि में अस्थिभंग (फ्रैक्चर) पाया गया;

(viii) दाहिने अग्रबाहु पर 30 **x** 1 **½** सेमी का नीला-लाल रंग का रक्तस्रावी आघात

(ix) कांख क्षेत्र में 5 **x** 1 **½** सेमी का नीला-लाल रंग का रक्तस्रावी आघात;

(x) दाहिने अग्रबाहु के पार्श्व भाग पर 12 **x** 4 सेमी का नीला-लाल रंग का रक्तस्रावी आघात;

(xi) दाहिने अग्रबाहु के पार्श्व भाग पर 13 **x** 2 **½** सेमी का नीला-लाल रंग का रक्तस्रावी आघात; तथा

(xii) दाहिने अग्रबाहु के पार्श्व भाग पर 12 **x** 3 **½** सेमी का नीला-लाल रंग का रक्तस्रावी आघात।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सभी चोटें मृत्यु-पूर्व प्रकृति की थीं। आंतरिक परीक्षण में दाहिनी एवं बायीं पार्श्विक अस्थियों में फ्रैक्चर पाया गया। चिकित्सक ने अभिमत दिया कि मृत्यु कोमा एवं सिंकोप के कारण, जिससे हृदय-श्वसन क्रिया विफल हुई, हुई तथा यह प्रकृति में मानवहत्या थी। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शर्श-पी/10 है।

गौर सिंह का प्रथम परीक्षण डॉ. जी.डी. बघेल (अभी.सा.-4) द्वारा किया गया, जिन्होंने ललाट क्षेत्र में, नासिका मूल से लगभग 10 सेमी ऊपर, 4 **x** 1 **x** 1 सेमी का विदीर्ण घाव पाया। उक्त चोट का एक्स-रे परीक्षण कराने की सलाह दी गई। गौर सिंह की एम.एल.सी. रिपोर्ट प्रदर्शर्श-पी/13 है।

राधा बाई (अभी.सा.-5) का परीक्षण भी डॉ. जी.डी. बघेल (अभी.सा.-4) द्वारा किया गया। उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं—

(i) बायीं ऑक्सिपिटो-पैराइटल क्षेत्र में 7 **x** 1 **x** 1 सेमी का विदीर्ण घाव;

(ii) चोट क्रमांक (**i**) से 2 सेमी नीचे 4 **x ½ x** 1 सेमी का विदीर्ण घाव;

(iii) चोट क्रमांक (**ii**) से 2 सेमी नीचे 7 **x** 1 **x** 1 सेमी का विदीर्ण घाव;

(iv) चोट क्रमांक (**iii**) से 2 सेमी नीचे 7 **x** 1 **x** 1 सेमी का विदीर्ण घाव;

(v) चोट क्रमांक (**iv**) से 2 सेमी नीचे 4 **x** 1 **x** 1 सेमी का विदीर्ण घाव;

(vi) सुप्रा-स्कैपुलर क्षेत्र में 3 **x** 2.5 सेमी का खरोंच

(vii) चोट क्रमांक (**vi**) से नीचे 1 **x** 1 सेमी का खरोंच;

(viii) बाएँ घुटने के पाटेला क्षेत्र पर 2.5 **x** 1.5 सेमी का खरोंच; तथा

(ix) बाएँ घुटने के पाटेला क्षेत्र पर 3 **x** 2 सेमी का खरोंच।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सभी खरोंचें साधारण प्रकृति की थीं। अन्य चोटों के संबंध में अभिमत एक्स-रे परीक्षण उपरांत दिया जाना था। उनकी एम.एल.सी. रिपोर्ट प्रदर्शर्श-पी/12 है।

गौर सिंह की उपचार के दौरान उसी दिन अर्थात दिनांक 14.06.1991 को मृत्यु हो गई। मृतक गौर सिंह के शव का परीक्षण डॉ. डी.सी. जैन (अभी.सा.-17) द्वारा किया गया। उन्होंने ललाट अस्थि में अनेक फ्रैक्चर पाए तथा अभिमत दिया कि मृत्यु उपर्युक्त चोटों के कारण उत्पन्न कोमा से हुई और वह मृत्यु मानववध प्रकृति की थी। मृतक गौर सिंह की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-पी/16 है।

आगे की विवेचना में अभियुक्त व्यक्तियों को अभिरक्षा में लिया गया तथा उनके ज्ञापन कथन (प्रदर्श-पी/2, पी/3, पी/4 एवं पी/5) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अभिलेखित किए गए। अपीलार्थियों तथा किशोर अपचारी के कथनानुसार डंडा एवं टांगी बरामद किए गए। जप्त सामग्री को रासायनिक परीक्षण हेतु फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफ.एस.एल.),

सागर भेजा गया, जहाँ से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। एफ.एस.एल. प्रतिवेदन के अनुसार सभी हथियारों पर तथा अपीलार्थियों के कब्जे से जप्त वस्त्रों पर रक्त के धब्बे पाए गए। उपर्युक्त सामग्री को आगे की जाँच हेतु कलकत्ता प्रयोगशाला भेजा गया, किन्तु हथियारों पर पाए गए रक्त के धब्बों का स्रोत एवं रक्त समूह निर्धारित नहीं किया जा सका। उक्त तीनों अपीलार्थी/अभियुक्त व्यक्तियों का विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया गया। सत्र न्यायालय ने राधा बाई (अभी.सा.-5) की अभिसाक्ष्य पर विश्वास करते हुए, पूर्वोक्त अनुसार अपीलार्थियों को दोषसिद्ध कर दंडित किया।

(4) अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि राधा बाई (अभी.सा.-5) मृतकों की पत्नी एवं माता हैं, अतः वह एक हितबन्ध साक्षी हैं तथा उनकी गवाही अस्थिर है, इसलिए केवल उनकी एक गवाही के आधार पर दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए सत्र न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

(6) हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा सत्र प्रकरण के संपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन किया।

(7) कोई निकट संबंधी मात्र इस आधार पर हितबन्ध साक्षी नहीं कहा जा सकता। विधि में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि संबंधी साक्षियों को असत्य माना जाए। मृतक से निकट संबंध होना साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। सामान्यतः निकट संबंधी वास्तविक अपराधी को बचाने तथा निर्दोष को झूठा फँसाने से परहेज करता है। हितबन्ध साक्षी वह होता है जो प्रतिशोध शत्रुता या विवाद के कारण किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने की मंशा से बयान देता है, न कि न्याय के हित में। तथापि, हितबन्ध साक्षियों की गवाही को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे सावधानीपूर्वक परखा जाना चाहिए। यदि ऐसी गवाही अन्य साक्षियों, विशेषज्ञ साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पुष्ट हो जाती है और साक्ष्य-श्रृंखला पूर्ण हो जाती है, तो न्यायालय

उस पर विश्वास कर सकता है। अतः केवल संबंध होना साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करता। यदि निकट संबंधी की गवाही विश्वसनीय पाई जाती है, तो उसी के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

(देखें— ***हरबंस कौर बनाम हरियाणा राज्य, ए.आई.आर 2005 एस.सी 2074; नम्देओ बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर 2007 एस.सी 1835; सोनेलाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य., ए.आई.आर 2008 एस.सी 7988; धर्निधार बनाम उ.प्र राज्य, (2010) 7 एस.सी.सी 759***)

(8) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में प्रतिपादित उपर्युक्त सिद्धांतों के आलोक में, हम श्री लोहानी के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि राधा बाई (अभी.सा.-5) की गवाही स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि वह मृतकों की पत्नी एवं माता हैं। तथापि, हम यह स्वीकार करते हैं कि उनकी गवाही की गहन सावधानी एवं सतर्कता के साथ जांच की जानी चाहिए और यदि उनकी गवाही विश्वसनीय पाई जाती है, तो केवल उनकी एकमात्र गवाही के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) अब हम राधा बाई (अभी.सा.-5) की साक्ष्य का परीक्षण करने के लिए अग्रसर होते हैं।

(10) राधा बाई (अभी.सा.-5) ने बयान दिया कि अभियुक्त अमरसिंह (ए-1) उनके जेठ हैं तथा अन्य अभियुक्तगण (ए-2, ए-3 एवं किशोर अपचारी) अमरसिंह (ए-1) के पुत्र हैं। उनके पति मेहर सिंह (मृतक) एवं अमर सिंह (ए-1) के मध्य भूमि विवाद था। घटना के दिन लगभग दोपहर 12 बजे, उनके पति (मृतक- मेहर सिंह) उसके पुत्र गौर सिंह (एक अन्य मृतक) के साथ साइकिल से घर लौट रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र (मृतक- गौर सिंह) की चीख-पुकार सुनी। वह घर से बाहर आईं और अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। तत्पश्चात चारों अभियुक्तगण, अर्थात् अमर सिंह (ए-1) एवं उसके पुत्र सूरू सिंह (किशोर), जगत सिंह (ए-2) तथा करिया (ए-3) वहां आए और लाठी एवं टंगिया से उनके पति पर हमला किया। इसके बाद उन्होंने उनके पुत्र गौर सिंह के सिर पर भी प्रहार किया। करिया (ए-3) ने उन पर भी लाठी से हमला किया, जिससे उनके सिर में चोटें आईं।

उनके पति (मृतक- मेहर सिंह) घटनास्थल पर गिर पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात वह गासीराम के बरामदे में गईं। सुंदर सिंह वहां आया और उन्हें पानी पिलाया। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। उन्हें अपने पुत्र के साथ अस्पताल भेजा गया। उनके पुत्र (मृतक- गौर सिंह) को रायपुर अस्पताल रेफर किया गया, जहां बाद में उसकी मृत्यु हो गई। राधा बाई (अभी.सा.-5) से बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण की गई, परंतु उनकी प्रतिपरीक्षण से ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आया, जिसके आधार पर उनकी गवाही को अस्वीकार किया जा सके अथवा यह कहा जा सके कि उन्होंने अपीलार्थियों को झूठा फंसाया है।

(11) श्री लोहानी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि राधा बाई (अभी.सा.-5) ने अपनी साक्ष्य में एक स्थान पर यह बयान दिया कि अमरसिंह (ए-1) के हाथ में धनुष था, जबकि यह तथ्य उनके केस डायरी कथन (प्रदर्श. डी-1) में उल्लिखित नहीं है। मात्र इस आधार पर कि केस डायरी कथन में उक्त तथ्य का उल्लेख नहीं है, राधा बाई (अभी.सा.-5) की संपूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह कोई ऐसा महत्वपूर्ण लोप नहीं है जो प्रकरण की जड़ तक जाता हो। राधा बाई (अभी.सा.-5) स्वयं एक आहत साक्षी हैं। घटना उनके घर के सामने घटित हुई थी, अतः घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। अभियुक्तगण इस साक्षी को भली-भांति जानते थे। घटना दिन के समय लगभग 12 बजे हुई थी, अतः पहचान में किसी प्रकार की भूल का प्रश्न ही नहीं उठता। यह समझ से परे है कि कोई महिला अपने पति एवं पुत्र की हत्या करने वाले वास्तविक व्यक्तियों को छोड़कर किसी अन्य को झूठा फँसाएगी। राधा बाई (अभी.सा.-5) का कथन मृतक मेहर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श. पी-10), एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श. पी-13) तथा मृतक गौर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श. पी-16) से भी पुष्ट होता है। उनकी साक्ष्य की पुष्टि उनके स्वयं के चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श. पी-12), जिसे डॉ. जी.डी. बघेल (अभी.सा.-4) द्वारा संपादित किया गया, से भी होती है। अतः केवल केस डायरी कथन में उपर्युक्त लोप के आधार पर उनकी संपूर्ण गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) श्री लोहानी ने यह भी तर्क दिया कि इस प्रकरण में प्रथम सुचना रिपोर्ट सिद्ध नहीं की गई है तथा विवेचक का परीक्षण नहीं किया गया। अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 14.06.1991 को लगभग 15:30 बजे राधा बाई (अभी.सा.-5) ने देहाती नालिशी दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने घटना का संपूर्ण विवरण उल्लेखित किया। उक्त देहाती नालिशी के आधार पर विवेचक द्वारा प्रथम सुचना रिपोर्ट. दर्ज की गई।

(13) *दामोदर प्रसाद चन्द्रिका प्रसाद एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर 1972 एस.सी 622* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वस्तुनिष्ठ साक्ष्य नहीं होती। इसका उपयोग सीमित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि इसे दर्ज कराने वाले व्यक्ति के कथन की पुष्टि अथवा खंडन हेतु। प्रथम सूचना रिपोर्ट का एक अन्य प्रयोजन यह भी है कि इससे अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति का पता चलता है अथवा यह दर्शाया जा सकता है कि सूचना मनगढ़ंत नहीं है अथवा यह साक्ष्य ***संबंधित तथ्य एवं कार्य*** के अंतर्गत आती है। कुछ मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट का उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत, सूचना देने वाले व्यक्ति की मृत्यु के कारण के संबंध में, अथवा धारा 8 के अंतर्गत सूचना देने वाले के आचरण के रूप में भी किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) वर्तमान प्रकरण में विवेचक का परीक्षण नहीं किया गया तथा देहाती नालिशी, जिस पर राधा बाई (अभी.सा.-5) के अंगूठे का निशान अंकित बताया गया है, एवं प्रथम सुचना रिपोर्ट. सिद्ध नहीं की जा सकी। हम अभिलेखों से यह पाते हैं कि माननीय सत्र न्यायाधीश ने अपना निर्णय न तो नालिशी और न ही प्रथम सुचना रिपोर्ट. की विषय-वस्तु पर आधारित किया है। उन्होंने मुख्यतः राधा बाई (अभी.सा.-5) की साक्ष्य, शव परीक्षण एवं चिकित्सीय परीक्षण करने वाले तीन चिकित्सकों की साक्ष्य तथा अन्य औपचारिक साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया है। श्री लोहानी यह प्रदर्शित नहीं कर सके कि विवेचक का परीक्षण न किया जाना तथा नालिशी अथवा प्रथम सुचना रिपोर्ट का सिद्ध न होना अपीलार्थियों के लिए किसी प्रकार की

प्रतिकूलता का कारण बना है। ***दामोदर* (उपर्युक्त)** में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, हमने निर्णय की विषय-वस्तु का परीक्षण यह जानने के लिए किया है कि क्या निर्णय में उल्लिखित साक्ष्य एवं आधारों के आधार पर दोषसिद्धि उचित थी।

हमने अभिलेख पर उपलब्ध सिद्ध तथ्यों एवं अन्य साक्ष्यों के प्रकाश में राधा बाई (अभी.सा.-5) की साक्ष्य का भी परीक्षण किया है। उनकी संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर हम यह नहीं पाते कि उनकी गवाही अविश्वसनीय है। हमारा मत है कि माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थियों की दोषसिद्धि राधा बाई (अभी.सा.-5) की एकमात्र साक्ष्य के आधार पर करना पूर्णतः उचित था, जिसे चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित किया गया है और जिसमें कोई विरोधाभास नहीं पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) उपर्युक्त कारणों के आधार पर, हम इस अपील में प्रथम दृष्टया निराधार एवं तथ्यों तथा विधि के आधार पर असंगत प्रतीत होती है। अतः अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत अपील ख़ारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद् द्वारा ख़ारिज किया जाता है।

सही/-
मुख्य न्यायधीश

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायधीश

-000-

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Adv.

Rakshita Mishra

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur